झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शि0) रामगढ़ / PDS–91 / 2021 - 854

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 20.10.2023

विषयः– **श्री संजू चौधरी, मुखिया, ग्राम पंचायत–उसरा, प्रखण्ड–दुलमी, जिला–रामगढ़ से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री संजू चौधरी, मुखिया, ग्राम पंचायत–उसरा, प्रखण्ड–दुलमी, जिला–रामगढ़ का आवेदन पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन पत्र में जन वितरण प्रणाली से संबंधित कुल–08 बिन्दुओं पर सुझाव देते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/10/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx541

P-1
(3)

प्रेषक,
संजू चौधरी,
(मुखिया)
ग्राम पंचायत - उसरा
प्रखण्ड - दुलमी
जिला - रामगढ़
(झारखंड)

M.S.
09/10/23

9/10/23

167
9.10.23

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची

विषय :- खाद्य सुरक्षा योजनाओं के समुचित - कार्यान्वयन में व्याप्त अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में,

महोदय,

सविनय निवेदन पूर्वक उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्रीमान् से कहना है कि निम्नलिखित सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे -

(1) ग्रामीण क्षेत्र के कई पी० डी० एस० डीलर स्वेच्छाचारिता से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त डिजीटल तौल मशीन का उपयोग सामग्री को तौलने में न कर राशनकार्डधारकों से ई-पॉस मशीन में अँगूठा लगवाकर राशन प्राप्ति की पर्ची निकालने में करते हैं। डिजीटल तौल मशीन में जहाँ सामग्री होना चाहिए, वहाँ बाट आदि होता है और सामग्री को परम्परागत बाट-तराजू से तौल - कर दिया जाता है। अत: विभागीय स्तर से - पी० डी० एस० दुकान पर ई-पॉस मशीन का उपयोग कराते हुए जन वितरण प्रणाली के सभी पारगमन सम्पन्न कराया जाय और सभी सामग्री उठावकर्ता को सम्बन्धित रसीद उपलब्ध कराने की अनुपालना सख्ती से कराई जाय।

P.T.O.

(2) पी० डी० एस० दुकानदारों द्वारा राशन कार्डधारियों की हकदारी के अनुसार उनको शत-प्रतिशत निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभागीय स्तर से सुनिश्चित की जाय।

(3) पी० डी० एस० दुकान के प्रमुख स्थल पर दैनिक-आधार पर माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक, आरम्भिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक की सूचना, साथ ही आवश्यक वस्तुओं का मूल्य-संप्रदर्शित कराना विभागीय स्तर से सुनिश्चित की जाय।

(4) राशन उठाव की तिथि तथा वितरण के समय का पी० डी० एस० दुकानदार द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय और हर पंचायत सचिवालय के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से संप्रदर्शित कराया-जाय।

(5) पी० डी० एस० डीलर द्वारा पी० डी० एस० दुकान-स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में राशन वितरण सुनिश्चित कराया जाय।

(6) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समावेशन-मानकों को पुरा करनेवाले परिवार का राशन-कार्ड जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से निर्गत कराना सुनिश्चित की जाय।

(7) विभागीय स्तर से बिना किसी शिकायत पत्र के भी समय-समय पर जनवितरण प्रणाली की दुकान और आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया जाय और वहाँ से सम्बद्ध खाद्य सुरक्षा योजना के दस लाभुकों से पुछताछ की जाय, जिसमें ST, SC, BC और सामान्य श्रेणी की महिलाएँ शामिल हों।

(8) सभी पी० डी० एस० दुकानदारों से उनके अन्तर्गत आनेवाले PH, AAY और GREEN राशन कार्डधारियों की सूची यूनिट सहित पंचायत सचिवालय में प्रदर्शित कराया जाय।

P.T.O.

(1)

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ गरीब जरूरतमंदों को प्राप्त हो सके और योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।

विश्वासभाजन

संजु चौधरी

मुखिया
ग्राम पंचायत-उसरा, प्रखण्ड-दुलमी
(जिला-[illegible] खण्ड)